



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-03042021-226339
CG-DL-W-03042021-226339

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मार्च 21 - मार्च 27, 2021, शनिवार/ फाल्गुन 30, 1942 - चैत्र 6, 1943
No. 12] NEW DELHI, MARCH 21 - MARCH 27, 2021, SATURDAY/ PHALGUNA 30, 1942 - CHAITRA 6, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2021

सा.का.नि. 43.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में जन संपर्क अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, जन संपर्क अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
 उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
 परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जन संपर्क अधिकारी	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपए)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से जन संचार में पत्रकारिता में स्नातक। आवश्यक अनुभव: केंद्रीय या राज्य सरकार के संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों या अनुसंधान संस्थानों में मीडिया से व्यवहार में दो वर्ष का अनुभव।	आयु : लागू नहीं होता शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पण-1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण- 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करके, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
---	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वशासी या कानूनी संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 6(35400-112400 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस पद पर पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। टिप्पण-1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के	विभागीय प्रोन्नति समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. चिकित्सा अधीक्षक, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक प्रशासन, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा. सं. ए.11018/10/2019-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अव्वर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 17th March, 2021

G.S.R. 43.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Public Relation Officer in Dr. RML Hospital, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Public Relation Officer (Group ‘B’ post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix.	Whether Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Public Relation Officer	01* (2021) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note .- The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential Qualification: Bachelor in Journalism in Mass Communication from recognised University/Institute. Essential Experience: Two years’ experience in handling media in Central or State Government Organizations or Public Sector Undertakings or Autonomous bodies or Research Institutes. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.

	Note 2: Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Age: NA Educational Qualification: NA	Two years	Deputation including Short Term Contract failing which by Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government, State Governments/Union Territories/autonomous or statutory organisations /Public Sector Undertakings, Universities Recognized Research Institutions:- a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in Level 6 in the pay matrix in the parent cadre or department ; and (b) possessing the educational qualifications and experience proposed for direct recruitment under column.7. Note-1. The period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note-2. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- Medical Superintendent, Dr. RML Hospital, New Delhi -Chairman Deputy Director Administration, Dr. RML Hospital -Member Deputy Director in charge of Dr. RML Hospital in Directorate General of Health Services -Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A. 11018/10/2019-MH II]

PREM NARAIN, Under Secy.